यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 320/2022 दायर दिनाँक 29.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. बंशीधर शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा उम्र 52 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मावा, तहसील डीडवाना, हाल निवासी लोसल जिला सीकर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—88 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

—:: **निर्णय** ::—

दिनाँक 22.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मावा तहसील डीडवाना हाल लोसल (सीकर) का स्थायी निवासी है तथा वादी के पिता की एकल खातेदारी का खेत खसरा सं0 633 रकबा 0.9600 हैक्टे0, खसरा सं0 828 रकबा 1.0000 हैक्टे0 वाकै सरहद मावा पटवार हल्का मावा भू0 अभि0 नि0 दयालपुरा तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि वादी के पिता की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत है तथा वादी के पिता का स्वर्गवास के बाद वादी कृषी कार्य करके अपने व अपने परिवार का पालन—पोषण करता है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम मदाराम पुत्र जमनाराम दर्ज हो रखा है। जबकि वादी के पिता का नाम वास्तविक रूप से मदनलाल शर्मा व दादा का नाम भूराराम शर्मा इस प्रकार वादी के पिता का सही नाम मदनलाल शर्मा पुत्र भूराराम शर्मा है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि खेत खसरा सं0 633 रकबा 0.9600 हैक्टे0, खसरा सं0 828 रकबा 1.0000 हैक्टे0 वाकै सरहद मावा में राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम मदाराम पुत्र जमनाराम के स्थान पर मदनलाल शर्मा पुत्र भूराराम शर्मा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा उसी अनुरूप उक्त खसरा नम्बरान में मदनलाल शर्मा पुत्र भूराराम शर्मा नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, सरपंच मावा के द्वारा वादी को मावा निवासी बताया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन् वाद वादी डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा मावा के खसरा सं0 633 रकबा 0.9600 हैक्टे0, खसरा सं0 828 रकबा 1.0000 हैक्टे0 भूमि में वादी के पिता का नाम मदाराम पुत्र जमनाराम के स्थान पर मदनलाल शर्मा पुत्र भूराराम शर्मा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.08.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

वाद संख्याः **320/2022** दायर दिनाँक **29.07.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1 बंशीधर शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा उम्र 52 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मावा, तहसील डीडवाना, हाल निवासी लोसल जिला सीकर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88 R.T.Act.

दिनाँक **22.08.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा मावा के खसरा सं0 633 रकबा 0.9600 हैक्टे0, खसरा सं0 828 रकबा 1.0000 हैक्टे0 भूमि में वादी के पिता का नाम मदाराम पुत्र जमनाराम के स्थान पर मदनलाल शर्मा पुत्र भूराराम शर्मा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.08.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:55 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner